कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

स्थापना शाखा, मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, कोरबा (छ0ग0)

दुरभाष : 07759–221288, फेक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in. Email : corporationkorba@gmail.com

फा.क. / स्थापना / एक / 2015–16 / कोरबा,दिनांक 24.02.2016

–: आदेश :–

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्र. 7181 / 4061 / 2015 / 18 नया रायपुर, दिनांक 23.09.2015 द्वारा निःशक्तजनों के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान अंतर्गत **श्री भूपेन्द्र सिंह** आत्मज श्री लोकेश्वर सिंह की सीधी भर्ती अंतर्गत नियमित **सहायक ग्रेड–।।।** के पद पर वेतनमान रू. 5200–20200+ 1900 पर तथा समय–समय पर देय महगांई भत्ते अंतर्गत दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है।

नियुक्ति की सेवा एवं अन्य शर्ते छ.ग. शासन, नगर पालिका अधिनियम 1956 तथा शासन द्वारा स्वीकृत छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम 2007 के अधीन होगी :–

नियुक्ति की शर्ते :–

1. नियुक्ति पश्चात् प्रमाण पत्रों के सत्यापन में यदि प्रमाण पत्र असत्य / त्रुटिपूर्ण / फर्जी पाये जाते हैं तो जारी आदेश स्वयं निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में चयनित अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
2. परीवीक्षा अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर अथवा निगम को इनकी सेवाओं की आगे आवश्यकता न होने पर परीवीक्षा अवधि में कभी भी इनकी सेवाएं एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
3. त्यागपत्र की दशा में इन्हें एक माह पूर्व नोटिस अनिवार्य रूप से देना होगा, अन्यथा एक माह का वेतन भत्ता सहित राशि निगम कोष में नगद जमा करना होगा।
4. शारीरिक सक्षमता का प्रमाण–पत्र प्रमुख चिकित्सक, जिला मेडिकल बोर्ड कोरबा से प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करने के समय निश्चित रूप से जमा करना होगा।
5. इनके चाल–चलन के संबंध में पुलिस विभाग से जांच कराई जावेगी एवं जांच रिपोर्ट विपरीत आने पर इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
6. आचरण एवं व्यक्तित्व के संबंध में दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. नियुक्त व्यक्ति को अपने जन्म के संबंध में प्रमाण–पत्र एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण–पत्र तथा विकलांगता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. संबंधित को नियुक्ति आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
9. नियुक्त किये गए कर्मचारी की आयु, शैक्षणिक योग्यता, निवास, जाति इत्यादि के संबंध में संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कर्मचारी की होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि / अनियमितता पाई जाती है तो उसका नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।

E:\Work Odred

क्रमशः....2

10. कार्यभार ग्रहण करते समय 01 नग सेवा पुस्तिका (कोरी) व अन्य प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि एवं 02 नग पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ निश्चित रूप से जमा करना अनिवार्य है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृष्ठा.क./स्था./एक/2015-16/30174 कोरबा,दिनांक 24.02.2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन,नया रायपुर(छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर/बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
4. महापौर, नगर पालिक निगम, कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कलेक्टर, जिला-कोरबा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रमुख चिकित्सक/मेडिकल बोर्ड, जिला चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. प्रभारी अधिकारी, स्थापना/लेखा/निर्माण/योजना/जल संधारण/वाहन/भवन निर्माण अनुमति/स्टोर/विद्युत शाखा/स्टेशनरी शाखा/जन्म मृत्यु शाखा/कैश शाखा/राजस्व शाखा/संपदा शाखा नगर पालिक निगम कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
8. सर्वसंबंधित श्री भूपेन्द्र सिंह आत्मज श्री लकेश्वर सिंह पता- गायत्री शक्ति, पावर हाउस रोड कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित्। उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय शारीरिक योग्यता संबंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र, सेवा-पुस्तिका (कोरी) व अन्य प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निश्चित रूप से जमा करना अनिवार्य है।

24/02/16
आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

E:\Work Odred